



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129345

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 20004/2026

कमता प्रसाद मौर्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: गौरव तिवारी, किफायत अली

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह-प्रथम

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. आवेदक की ओर से वर्तमान जमानत आवेदन थाना पहाड़ी, जनपद चित्रकूट में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 0051/2026 तहत धारा 317(2)/3(5), 317(4)/3(5), 317(5)/3(5) बीएनएस में उसे जमानत पर रिहा किए जाने की याचना के साथ दायर किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है तथा उसे वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है। आवेदक प्रथम सूचना

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रिपोर्ट में नामित नहीं है तथा उसका नाम विवेचना के दौरान सह-अभियुक्त के बयान पर प्रकाश में आया। इस प्रकरण के अतिरिक्त, आवेदक के नाम पाँच प्रकरणों का आपराधिक इतिहास है, जिसे जमानत आवेदन के समर्थन में दायर शपथपत्र के प्रस्तर 8 में स्पष्ट किया गया है। वह दिनांक 11.04.2026 से कारागार में निरुद्ध है। रु. 22,000/- एवं 310 ग्राम चांदी की मिथ्या बरामदगी आवेदक के कब्जे से दर्शाई गई है, क्योंकि अभिकथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। इन परिस्थितियों में, यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का हकदार है। जमानत पर रिहा किए जाने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण कार्यवाहियों में सहयोग करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत प्रदान किए जाने की याचना का विरोध किया।

5. अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, दंड की गंभीरता, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए तथा गुणागुण पर कोई अभिमत व्यक्त किए बगैर, मेरा सुविचारित मत है कि आवेदक के पक्ष में जमानत का मामला बनता है। जमानत आवेदन अनुमत किया जाता है।

6. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में सम्मिलित आवेदक- **कमता प्रसाद मौर्य** को, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, संबंधित न्यायालय के समाधान पर, समान राशि के दो-दो प्रतिभुओं के साथ एक व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

(i) आवेदक उस अपराध के जैसा कोई भी अपराध कारित नहीं करेगा अथवा उसमें भाग नहीं लेगा, जिसके लिए वह अभियुक्त है अथवा जिसके कारित किए जाने का उस पर संदेह है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई उत्प्रेरणा, धमकी अथवा वचन नहीं देगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से निवृत्त किया जा सके अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक इस आशय का एक वचन-पत्र दायर करेगा कि वह साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर, यथन साक्षीगण न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन याचित नहीं करेगा। इस शर्त के व्यतिक्रम की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(iv) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर, स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से, विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, बिना पर्याप्त कारण के, विचारण न्यायालय धारा 229-A भा.द.सं. (तदनुरूप धारा 269 बीएनएस) के तहत उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि, विचारण के दौरान, आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु धारा 82 दं.प्र.सं. (तदनुरूप धारा 84 बीएनएसएस) के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार धारा 174-ए भा.द.सं. (तदनुरूप धारा 209 बीएनएस) के तहत उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(vi) आवेदक (1) मामले के आरम्भन, (2) आरोप विरचन, तथा (3) बयान तहत धारा 313 दं.प्र.सं. (तदनुरूप धारा 351 बीएनएसएस) के अभिलेखन हेतु नियत तिथियों पर स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसे व्यतिक्रम को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए उसके विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।

7. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन की स्थिति में, यह विचारण न्यायालय द्वारा जमानत के निरसन का आधार होगा।

(देवेन्द्र सिंह-प्रथम, न्यायमूर्ति)

23 जून, 2026

आशुतोष

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।